

ःयायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 कैम्प स्थल - शालिया.....)



धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 325/25 दापर दिनांक 27.9.2025 निर्णय दिनांक 27.09.2025

क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट		कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>शालिया</u>	<u>385</u>	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्राविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया</p> <p>शुद्ध प्राविष्टी</p>		<p>तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>शालिया</u> प.ह. <u>शालिया</u> खतासं. <u>325</u> में वर्तमान प्राविष्टी स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरासद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
			हस्ताक्षर पटवारी <u>प.स. शालिया</u>	हस्ताक्षर प्रशावर <u>Prashar</u>	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार <u>Prashar</u>

प्रतिनिधि पालनाथ:-

तहसीलदार(प.अ.) कपासन

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

1. पटवारी पटवार मण्डल शालिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरासद करें कपासन जिला-चितौडगढ

तहसीलदार कपासन
तहसीलदार(प.अ.) कपासन